युवाओं के लिए रोजगार का द्वार खोलेगी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

पहले चरण में पांच लाख व दूसरे में मिलेगा दस लाख का कर्ज

जागरण संवाददाता, महराजगंज : मुख्यमंत्री युवा योजना युवाओं के लिए स्वरोजगार के द्वार खोलेगी। जिले के करीब 58 प्रतिशत बेरोजगार युवा इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। इस योजना के तहत पहले चरण में पांच लाख रुपये तक ऋण मिलेगा। दूसरे चरण में युवा उद्यमी 10 लाख तक कर्ज ले सकेंगे। इसके लिए युवा उद्योग विभाग के विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रदेश सरकार 'हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर' थीम को लेकर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित कर रही है। इसमें युवा आटा चक्की, आइसक्रीम फैक्ट्री, अगरबत्ती निर्माण, चावल प्लांट, एक्सपेलर प्रोसेसिंग प्लांट, पैकिंग प्लांट आदि की स्थापना के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके युवाओं को पांच लाख रुपये तक कर्ज दिया जाएगा। चार वर्षों तक कर्ज का ब्याज सरकार की ओर से अनुदान में मिलेगा।

युवाओं को रोजगार से जोड़कर हर हाथ को काम उपलब्ध कराने की है योजना

उद्यमियों को क्षमता बढ़ाने का मौका

शासन की ओर से सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को अत्याधुनिक तकनीकी से लैस करके उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी उन्नयन योजना चलाई जा रही है। इसमें तीन वर्ष पुरानी इकाइयों के लिए नई मशीनरी क्रय का 50 प्रतिशत अधिकतम पांच लाख रुपये तक उद्यमियों को अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा परामर्श, ब्रांडिंग, बौद्धिक संपदा आदि के लिए भी सरकार की ओर से छूट दी जा रही।

उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि इस योजना का लाभ जिले के करीब एक लाख युवाओं के लिए एक अवसर हैं। युवा सेवा आधारित इकाइयां भी स्थापित कर सकेंगे। इसमें कोई भी 21 से 40 वर्ष का युवा उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकता है।

उन्होंने बताया कि योजना के दूसरे चरण में युवा उद्यमियों को उद्योग का दायरा बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपये तक ऋण दिया जाएगा। इसके लिए शर्त है कि आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त जैसे ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास मिशन, आइटीआइ आदि से प्रशिक्षित होना जरूरी है। युवा जो उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए दाखिला आसानी से दिया जा रहा है।